राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक / रीडर / 2017 / 1625 दिनांक 10/7/17

प्रेषित :—

तहसीलदार सेड़वा

विषय :— राजस्व वाद सं. 332 / 2015 अनवान जाकब वगैरा बनाम जवारा वगैरा में पारित निर्णय की पालना करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है इस न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त वाद में निर्णय दिनांक 30/6/17 को पारित किया गया है। अतः उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति सलंग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

सलंग्न :— निर्णय की प्रमाणित प्रति।

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर चौहटन मुकाम चौहटन
व इजलास ***श्री भागीरथराम, आर.ए.एस.***

1.जाकब 2.हमीर पि.रहीमना जाति मुसलमान, निवासी आकल तहसील सेड़वा

बनाम

1. जवारा 2.चैना 3.पूरा पि.कानीया 4.मीरा पत्नि कानीया 5.थानाराम 6.भगाराम 7.बालाराम पि.भारथा 8.गैरों पत्नि भारथा जाति कुम्हार निवासी आकल, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 9.तहसीलदार सेड़वा।

वाद बाबत 88, 188 RT Act.
मुकदमा नं. 332/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री शाकर खा** एड. मिनजानिब मुदाई व **श्री** .... एड. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है **कि मौजा ग्राम आकल, तहसील सेड़वा के खेत खसरा नं. 144 रकबा 01.10 बीघा की भूमि के संबंध में पेश वाद अन्तर्गत धारा 88,188 Rt Act काल्पनिक, बेबुनियाद वं निराधार तथ्यों के आधारित होने के कारण खारिज किया जाता है।**

.... बीज .... मबलिग .... बाबत .... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्राथी तक .... को अदा करे।

वसग्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 30/6/17 को जारी की गई।

मुहर (सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन)

दस्तखत .... सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

ओहदा ....

मुदई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे .... करना।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 332/2015

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 88,188 रा.का.अ.

अनवान वादीगण – 1.जाकब 2.हमीर पि.रहीमना
जाति मुसलमान, निवासी आकल
तहसील सेड़वा

बनाम

प्रतिवादीगण – **1. जवारा 2.चैना 3.पूरा पि.कानीया 4.मीरा पत्नि कानीया**
5.थानाराम 6.भगाराम 7.बालाराम पि.भारथा 8.गैरों पत्नि भारथा
जाति कुम्हार, निवासी आकल, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।
9.तहसीलदार सेड़वा।

अधिवक्तागण – वादीगण वकील – **श्री शाकर खान**
प्रतिवादीगण वकील –

निर्णय

दिनांक :– 30/6/17

वादी के वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के पूर्वजो की कब्जा काश्त की पैतृक भूमि मौजा आकल, तहसील सेड़वा में खसरा सं. 142 रकबा 00.07 बीघा, खसरा सं. 143 रकबा 135.17 बीघा, खसरा सं. 146 रकबा 00.11 बीघा, खसरा सं. 211 रकबा 13.12 बीघा, खसरा सं. 144 रकबा 01.10 बीघा, कुल रकबा 151.17 बीघा का आया हुआ है। वक्त सेटलमेन्ट पर्चा लगान जारी करते वक्त राजस्व कर्मचारियों ने खसरा सं. 142 रकबा 00.07 बीघा, खसरा सं. 143 रकबा 135.17 बीघा, खसरा सं. 146 रकबा 00.11 बीघा, खसरा सं. 211 रकबा 13.12 बीघा, कुल रकबा 150.07 बीघा भूमि का पर्चा लगान वादीगण के पूर्वजों के नाम से जारी कर दिया जबकि खसरा सं. 144 रकबा 01.10 बीघा भूमि राजस्व कर्मचारियों की भूल से सेढ़ा पड़ौसी प्रतिवादी सं. 1 से 8 के पूर्वजों के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दी जिसका वादीगण व उनके पूर्वजों को ध्यान नहीं रहा । इसलिए वादीगण मौजा आकल के खसरा सं. 144 रकबा 01.10 बीघा भूमि अपनी खातेदारी में घोषित करवाना चाहते है। जिस हेतु वाद पेश कर इस्तदुअ चाही गई है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कोर्ट केम्प केकड़ में पेश हुई। पक्षकारान के कोर्ट कैम्प के सम्मन तामिल सुदा प्राप्त । प्रतिवादीगण उपस्थित हुए । प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर वादीगण के वाद का जवाब पेश किया। जिसमें निवेदन किया कि वादग्रस्त खसरा सं. 144 प्रतिवादीगण सं. 1 से 8 का है। वक्त सेटलमेन्ट से लेकर आज

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

दिन तक प्रतिवादीगण के पूर्वजों का है। जिसका पर्चा लगान भी प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम जारी हुआ है। सेटलमेन्ट से लेकर आज दिन तक प्रतिवादीगण का कब्जा है। राजस्व रेकर्ड में भी प्रतिवादीगण के नाम अंकन है। वादीगण जबरन अनुचित तरीकों से प्रतिवादीगण की जमीन को हड़पना चाहते है। जिसके लिए झूठा एवं मनगड़त तथ्यों पर आधारित झूठा वाद पेश किया है अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद सारहीन, मनगढ़त, काल्पनिक, बेबुनियाद एवं निराधार तथ्यों के आधार पर पेश किया जो मात्र प्रतिवादीगण को नाहक परेशा करने के लिए एवं प्रतिवादीगण की जमीन को हड़पने के लिए पेश किया गया जो काबिले खारिज है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88,188 **Rt Act** सारहीन तथा मनगढत, काल्पनिक, बेबुनियाद वं निराधार तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज फरमाया जाता है तथा इस आश्य की डिक्री जारी की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

निर्णय आज राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प केकड़ में दिनांक 30.06.17 को सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन